

केन्द्रीय विद्यालय राजकोट | Kendriya Vidyalaya Rajkot

ओपन जिम सुविधा का विवरण / Details of 'Open Gym' Facility



हिंदी (Hindi Version)

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) के पत्र क्रमांक F.N. 11311/2024-25/KVSHQs/Acad/ (दिनांक 06.05.2026) के अनुपालन में, केन्द्रीय विद्यालय राजकोट में उपलब्ध 'ओपन जिम' सुविधा का विवरण सार्वजनिक हित एवं पारदर्शिता हेतु प्रस्तुत है:

1. प्रासंगिक नियम एवं दिशानिर्देश:

- विद्यालय परिसर में स्थापित यह 'ओपन जिम' विद्यालय के शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग है।
- जिम के उपकरणों का उपयोग पूर्ण जिम्मेदारी और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की क्षति न हो।

2. शुल्क संरचना:

- यह जिम सुविधा सभी पात्र विद्यार्थियों, शिक्षकों, कर्मचारियों और उनके परिजनों के लिए **पूर्णतः निःशुल्क** है। इसके उपयोग हेतु कोई भी शुल्क देय नहीं है।

3. पात्रता मानदंड एवं शर्तें:

- विद्यालय समय के दौरान:** यह सुविधा केवल कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों और विद्यालय के अध्यापकों के लिए उपलब्ध है।
- विद्यालय समय के उपरांत:** विद्यालय परिसर (स्टाफ क्वार्टर्स) में निवास करने वाले कर्मचारी एवं उनके परिजन इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

4. समय एवं सुरक्षा नियम:

- **समय:**
 - विद्यार्थियों के लिए: विद्यालय समय के दौरान (निर्धारित खेल कालांश में)।
 - आवासीय कर्मचारियों के लिए: विद्यालय समय के उपरांत (विद्यालय प्रशासन द्वारा निर्धारित समयानुसार)।
- **सुरक्षा नियम:** विद्यार्थियों द्वारा इन उपकरणों का उपयोग केवल शारीरिक शिक्षा शिक्षक (PET) या संबंधित अध्यापक की देखरेख में ही किया जाना अनिवार्य है।

5. संपर्क विवरण:

- इस सुविधा के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता हेतु कृपया विद्यालय के शारीरिक शिक्षा शिक्षक (PET) अथवा विद्यालय कार्यालय से संपर्क करें।

English (English Version)

In compliance with the KVS (HQ) letter no. F.N. 11311/2024-25/KVSHQs/Acad/ (dated 06.05.2026), the details regarding the 'Open Gym' facility available at Kendriya Vidyalaya Rajkot are hereby disclosed:

1. Relevant Rules & Guidelines:

- The 'Open Gym' established within the school premises is an integral part of the school's physical education and health program.
- The gym equipment must be used with utmost responsibility and care to prevent any damage.

2. Fee Structure:

- This gym facility is provided **Free of Cost** to all eligible students, teachers, staff members, and their dependents.

3. Eligibility Criteria & Terms:

- **During School Hours:** This facility is available exclusively for students of Classes 6 to 12 and the school teachers.
- **After School Hours:** Staff members residing in the school quarters and their dependents are eligible to avail of this facility.

4. Timings & Safety Norms:

- **Timings:**
 - For Students: During school hours (in designated sports periods).
 - For Residential Staff: After school hours (as per the timings determined by the school administration).
- **Safety Norms:** It is mandatory for students to use the equipment only under the supervision of the Physical Education Teacher (PET) or the concerned teacher.

5. Contact Details:

- For any further information or assistance regarding this facility, please contact the Physical Education Teacher (PET) or the School Office.